न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर, जिला नैनीताल
फौजदारी वाद संख्या : 713/2022
गीतांजलि नेगी बनाम अमित कुमार

अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम।
थाना–रामनगर, जिला नैनीताल।

दिनांक–08.09.2023

वाद पुकारा। पत्रावली पेश। परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार उपस्थित। अभियुक्त की हाजरी माफी द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा पेश। जो केवल आज हेतु स्वीकार। प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी स्वामिनी मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी से अभियुक्त अमित कुमार ने मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी मय उपकरण, मय स्थित उत्पाद एवं स्थल कब्जा एवं जे0सी0बी0 मशीन सहित 1,40,00,000/–रूपये में क्रय करना तय कर कब्जा प्राप्त कर 55,000/–रूपये नगद दिनांक 30.07.2021, 20,000,00/–रूपये नगद तथा बाद में 2,45,000/–रूपये जरियें आर0टी0जी0एस0 प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को अदा कर शेष धनराशि 1,17,00,000/–रूपये के चैक अलग–अलग तिथियों के जिसमें दो चैक अभियुक्त अमित कुमार ने अपने भाई अतुल कुमार के 2,50,000/–, 2,50,000/–रूपये के देकर हस्तलिखित तहरीर दिनांक 30.07.2021 व स्टाम्प तहरीर 31.07.2021 हस्ताक्षर प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी व अभियुक्त अमित कुमार ने अपने व गवाहों के हस्ताक्षर कराकर व स्टाम्प अनुबंध दिनांकी 31.07.2021 नोटरी दिल्ली में कराकर मूलतः हस्तलिखित तहरीर दिनांकी 30.07.2021 एवं मूल स्टाम्प पर तहरीर अनुबंध दिनांकी 31.07.2021 अभियुक्त अमित कुमार स्टोन क्रेशर कम्पनी ने अपने पास रखे व एक–एक छायाप्रति प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को दी थी। प्रार्थिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि क्रय–विक्रय की व्यवहारिक प्रक्रिया/सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत क्रेता अभियुक्त अमित कुमार ने मूल अभिलेख हस्तलिखित तहरीर दिनांकी 30.07.2021 वास्ते क्रय करने मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी तथा स्टाम्प पर तहरीरी अनुबंध दिनांक 31.07.2021 अभियुक्त अमित कुमार ने अपने पास रखे जो कि अभियुक्त अमित कुमार के पास है। अभियुक्त अमित कुमार की नियत में बदी व बेईमानी आ गयी चूंकि प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को शेष धनराशि चैकों से प्राप्त हो जाने के विश्वास पर सौदा तय/अनुबंध अनुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी का कब्जा अभियुक्त अमित कुमार को दिया था। किन्तु अभियुक्त अमित कुमार ने बदी व बेईमानी व धोखा कर बावजूद तकादों के कुल कीमत के अंश धनराशि अदायगी का चैक संख्या 000921 दिनांकी 01.06.2022 की धनराशि 10,00,000 अदा न करने पर अभियुक्त अमित कुमार द्वारा जारी यह चैक दिनांक 22.07.2022 को बैंक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा रामनगर जिला नैनीताल द्वारा अनादृत किये जाने के

परिवाद में धारा–251 जा0फौ0 के बयान माननीय न्यायालय में पत्रावली पर दर्ज कराने पर मात्र ''मात्र 60,00,000/–रूपये एग्रीमेंट हुआ था'' स्वीकार अभियुक्त अमित कुमार ने किया है। प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी क्रय करने की कीमत का भुगतान जरिये चैक बैंक से प्राप्त होने के 1,12,00,000/– के अभियुक्त अमित कुमार द्वारा जारी चैकों से अभियुक्त अमित कुमार के बयान धारा–251 जा0फौ0 को झूठा होना प्रमाणित करते है।

अतः उपरोक्त विषम परिस्थितियों पर अभियुक्त अमित कुमार से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को न्यायनिर्णय की सुगमता प्रदान करने की याचना की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी/परिवादिनी के उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि दरखास्त मौजूदा हालातों में नाकाबिले रवानी है व काबिले खारिज है। दरखास्त शिकायतकर्त्ता अधिनियम में प्रावधानों से बाहर है इसलिए भी काबिले खारिज है। शिकायतकर्त्ता को मौजूदा दरखास्त इस स्टेज पर दायर करने का कोई हक व अधिकार हासिल ना होता है। अलबत्ता अभियुक्त से प्रतिपरीक्षा का उचित समय आने पर शिकायतकर्त्ता प्रतिपरीक्षा कर सकती है, जिसका कानून में भी प्रावधान दिया गया है। शिकायतकर्त्ता द्वारा मौजूदा दरखास्त के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से ऐविडेन्स क्रियेट करने का कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल ना होता है। लिहाजा जवाब दरखास्त पेश करके प्रार्थना है कि दरखास्त शिकायतकर्त्ता जो कि गलत, निराधार, काल्पनिक, सोची समझी, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात है को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाए जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

4. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता न्यायालय द्वारा अंकित किये जा चुके है। पत्रावली परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

6. प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा अपने धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता में दिये गये बयान पर प्रतिपरीक्षा करने की याचना की गयी है।

7. धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता यह प्रावधानित करती है कि जब समन मामलों में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध कि विशिष्ट्यां बतायी जायेगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जायेगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है किन्तु यथा रीति आरोप विरचन करना आवश्यक ना हो।

8. धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि समन मामले में जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो वह अभियुक्त को अपराध के बारे में सूचित करता है एवं अभियुक्त को अपराध का विवरण बताया जाता है और अभियुक्त से यह भी पूछा जाता है कि वह दोषी होने का अभिवाक करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है।

9. धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त के बयान अंकित करते समय मजिस्ट्रेट एवं अभियुक्त का सीधा संवाद होता है। धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के बयान प्रश्न–उत्तर के रूप में अंकित किये जाते है। धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किये गये बयान को अभियुक्त की मुख्य परीक्षा के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

10. दण्ड़ प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो न्यायालय को अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता पर परिवादी को प्रतिपरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अभियुक्त अमित कुमार से प्रतिपरीक्षा करने हेतु खारिज किया जाता है।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला–नैनीताल।